

कार्यालय-वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 876 /33-1, दिनांक गोण्डा, सितम्बर 13 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद गोण्डा में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा फरेन्दा-जरवल मार्ग एस०एच०-1ए (नव घोषित एन०एच०-30) के कि०मी० 218.400 से 217.600 के मध्य बार्थी पटरी पर गाटा सं०-1261 व 1262 ग्राम सकरौरा नगर तह० करनैलगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.017248 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-801/11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, दिनांक 07.09.2021 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा का पत्रांक-1081/33-1, दिनांक 08.09.2021


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-264/33-1, दिनांक 20.07.2021 द्वारा आपकी सेवा में भेजा गया था, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं आप द्वारा 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गई है, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक-1081/33-1 दिनांक 08.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


13/9/21

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 876 /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा को उनके पत्रांक-1081/33-1 दिनांक 08.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

o/c